राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामचन्द्र / रूडमल

तारीख हुक्म	278/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/11/21	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त मे तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादी / रेस्पो. सं. 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् तकासमा एवम् स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण / अपीलान्टस मुख्य रूप से इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम कालच्या पटवार हल्का म्हार खुर्द तहसील शाहपुरा स्थित विवादग्रस्त भूमि एवम् ग्राम परमानपुरा पटवार हल्का म्हार खुर्द तहसील शाहपुरा स्थित विवादग्रस्त भूमि पर वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर सहखातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी मुतनाजा का वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी बंटवारा नही हुआ है। प्रतिवादीगण सडक से लगते हुये बेशकिमती भू-भाग को अन्तरण करना चाहते है। वाद मे आगे वादकारण अंकित करते हुये वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर काबिज काश्त के मुताबिक राजस्व नियमावली को मध्यनजर रखते हुये कानूनी बंटवारा किये जाने एवम् तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाकर पृथक-पृथक लगान निर्धारित किये जाने एवम् स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की इस्तदुआ की गयी। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की तामिल हेतु नोटिसेज जारी किये गये। बाद तामिल प्रतिवादीगण के उपस्थित नही आने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने	

(हस्ताक्षर)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामचन्द्र | रूडमल

तारीख हुक्म	278/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

निर्णय दिनांक 23/7/2020 के द्वारा प्राथमिक डिक्री वादी का वाद किया जाकर पक्षकारान् के मध्य विवादग्रस्त भूमि का राजस्व बोर्ड के नियमो के अनुरूप राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेअनुसार खातेदारो की उपस्थिति में बंटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात तैयार कर मिलवाने के आदेश प्रदान किये गये। जिसके विरूद्ध प्रतिवादी सं.1/ अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिस पर बहस पक्षकारान् समाप्त की गयी।

अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही आपत्ति दर्ज करवायी गयी कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की गलत रूप से चस्पान्दगी से तामिल करवायी जाकर उसकी अनुपस्थिति मे प्राथमिक निर्णय जेर अपील पारित करवा लिया गया, जिससे अपीलार्थी विधि अनुसार सुनवाई के अधिकार से वंचित रह गया। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अनुपस्थिति मे पारित निर्णय जेर अपील को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को यह निर्देश प्रदान करते हुये प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलार्थी को भी सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाते हुये पुनः निर्णय पारित करे।

अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामचन्द्र / रूडमल

278/2020	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा नोटिस नही लेने से दो गवाहान् की मौजूदगी मे नोटिसो की चस्पान्दगी सही रूप से करवाई गयी, जिसके आधार पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से प्रतिवादीगण/अपीलार्थीस की अनुपस्थिति दर्ज की गयी है। अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट ने अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण तकासमे का है, जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्डेड खातेदारान् के मध्य मालस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार ही बंटवारा किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है, जिसमे कोई त्रुटी नही होने से अपील खारिज करमाई जावे अपीलार्थी/ खारिज करमाई जावे।	
	हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान् पर गौर किया एवम् पत्रावली का अवलोकन किया। विचाराधीन प्रकरण पक्षकारान् के मध्य तकासमे का है, जिसमे सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के नोटिस चस्पान्दगी से तामील होकर प्राप्त होने पर प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति अंकित कर वाद मे प्राथमिक डिक्री पारित की गयी है।	(रामचन्द्र)

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामचन्द्र | रूडमल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
278/2020	4

इस सन्दर्भ में प्राथमिक निर्णय दिनांक 23/7/2020 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय जेर अपील के माध्यम से राजस्व बोर्ड के नियमो के अनुरूप राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदारो की उपस्थिति में बंटवारा रिपोर्ट तैयार किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है जो विधिअनुरूप एवम् न्यायसंगत निर्णय स्पष्ट होता है। अपीलार्थी को यदि कोई आपत्ति है तो उसको कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार होते वक्त अथवा अन्तिम डिक्री पारित होने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रकट करने का अवसर मौजूद है। ऐसी परिस्थिति में पक्षकारान् के मध्य राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्सेनुसार राजस्व मण्डल के विभाजन के सम्बन्ध मे बनाये गये नियमो की पालना करते हुये विधिक बंटवारा किये जाने के सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय जेर अपील दिनांक 23/7/2020 मे कोई त्रुटी प्रतीत नही होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को न्यायहित में यह निर्देश दिये जाते है कि वे तहसील से कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देकर ही अन्तिम डिक्री पारित करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/11/21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)